

भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं० 51/2018 - सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 08 जून, 2018

सा.का.नि. (अ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 61/94 (गै.टे.)-सीमाशुल्क, दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का.आ. 828 (अ) दिनांक 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, गुजरात राज्य से संबंधित क्रम सं. 6 के समक्ष, मद (ख) और उसे संबंधित प्रविष्टियों के समक्ष, कॉलम (3) और (4) में क्रमशः निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

क्रम सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	वायु पत्तन	उद्देश्य
1	2	3	4
		“(ग) सूरत	यात्रि सामान की उतराई और यात्रि सामान की लदाई”

2. उक्त अधिसूचना में, उपर्युक्त संशोधन प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. 520/01/2017-सीमाशुल्क VI]

(बी. कौथोजम)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना सं. 61/94 (गै.टे.)-सीमाशुल्क, दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. सं. 828 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 21/2018- सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 19 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 19 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।